झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि–**15.11.2019**

विज्ञापन संख्या–06/2019

झारखण्ड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–6371(अनु0) दिनांक–07.08.2019 तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–3137(अनु0) दिनांक–30.07.2019 द्वारा ***लेखा पदाधिकारी*** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं।

1. (i) पद का नाम– लेखा पदाधिकारी (Account Officer)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

Sl. No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation against total vacancy					
		No. of vacancies	Women		Handicapped			
				Sports	Blind & Low vision	Deaf & Dumb	Locomotive	Autism/ Multiple disabilities
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	UR	07						
ii	SC	02						
iii	ST	04						
iv	BC-I	01	01	00	01	00	00	00
v	BC-II	01						
vi	EWS	01						
Total of (i) to (vi)		**16**	**01**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार के संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 के आलोक में न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात बैकलॉग नहीं होगा।

2. वेतनमान — PB-II, 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 – 5400

3. पद — स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :— 01.08.2015 एवं 01.08.2019

नोटः– उम्र गणना की संदर्भ तिथि–01.08.2015 मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है जिनके द्वारा पूर्व विज्ञापन संख्या–06/2017 के विरूद्ध आवेदन किया गया था।

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :— **21 वर्ष।**

(b) अधिकतम उम्र सीमा :— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 एवं संकल्प संख्या–7636 दिनांक–12.10.2018 के अनुसारः–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	37 वर्ष	47
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	38 वर्ष	48
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50

(c) निःशक्तता का लाभ :–

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) निःशक्तता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप **मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **Important Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

(d) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(e) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

7. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

(a) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की प्रारंभिक, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रमः–

लेखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगाः–

प्रारंभिक परीक्षा :–संसूचित रिक्तियों से 10 गुणक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। **प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी तथा इसमें दो पत्र होंगें। प्रत्येक पत्र 100 अंको का होगा । इसका पाठ्यक्रम निम्नांकित है:–**

(A) General Stdudies Paper- I

Time 3 Hours

(i) History of India and Indian National Movement
(ii) India and World Geography
(iii) Indian Polity and Economy
(iv) History, Geography, Economics and Culture of Jharkhand

(B) General Stdudies Paper- II

Time 3 Hours

(i) General Science
(ii) General Mental ability
(iii) Current events of State, National and International Importance
(iv) Basic Numericals and Quantitative Aptitude

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की 10 गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा :–

मुख्य परीक्षा **विषयनिष्ठ** होगी तथा इसमें **तीन पत्र** होंगे। इनके विषय एवं पाठ्यक्रम के विवरण निम्न प्रकार है :–

I. प्रथम पत्र– समय : 3 घंटा, कुल अंक–100

(i) सामान्य हिन्दी--50

(a) निबंध	–	15 अंक
(b) व्याकरण	—	15 अंक
(c) अनुच्छेद आधारित बोधात्मक प्रश्न	—	10 अंक
(d) संक्षेपण	—	10 अंक

(ii) सामान्य अंग्रेजी–50 अंक

(a) Short Essay (400 words)	-	15 Marks
(b) Grammar	-	15 Marks
(c) Comprehension Passage	-	10 Marks
(d) Business Letter	-	10 Marks

मुख्य परीक्षा का प्रथम--पत्र अनिवार्य होगा तथा इसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ही अन्य पत्रों की जाँच होगी, परन्तु प्रथम पत्र के प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

II. द्वितीय पत्र –

सामान्य अध्ययन, समय : 3 घंटा, कुल अंक–100

(a) General Principles of Financial Management in State/Public Sector
(b). Social Problems of India with Special reference to Jharkhand
(c) Economic Problems of India with Special focus to Jharkhand in the areas of Agriculture/Industry/Social and Human resource Development (Health, Education etc.)

III.तृतीय पत्र –

निम्नलिखित चार विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(a) **वाणिज्यशास्त्र एवं लेखा विधि (b) अर्थशास्त्र (c) गणित अथवा (d) सांख्यिकी**

प्रत्येक विषय दो पत्रों का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 200 अंक तथा समय 3 घंटे निर्धारित होगा।

तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

9. साक्षात्कार:–लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग होने के लिए कोटिवार रिक्तियों की तीन गुणा संख्या में बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 100 अंकों का पूर्णांक होगा।

10. न्यूनतम अर्हत्तांक:– सभी कोटि के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.1.2012 एवं आदिम जनजाति के लिए संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 के आधार पर निर्धारित कया जायेगा।

11.आरक्षण का लाभ :–

I. प्रारंभिक परीक्षा के **Online** आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा कोटि का दावा अंकित करना अनिवार्य होगा ।

II. आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6763 दिनांक–05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

III. अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(i) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि** के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में **प्रमाण पत्र** झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) पिछड़ा वर्ग-II एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I :–

झारखण्ड राज्य के **पिछड़ा वर्ग-II** एवं **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिएः–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iv)**खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

12. (A) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :-

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(B) **कदाचार के लिए कार्यवाही :–**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(C) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. परीक्षा शुल्कः–

(A) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(B) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क **रू0–600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(C) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रू0–150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(D) पूर्व प्रकाशित **विज्ञापन संख्या–06/2017** के विरूद्ध आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पूर्व में किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान संबंधी चलान/अभिलेख की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(E) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क से छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र का विवरण **Online** आवेदन में प्रविष्ट करना एवं मुख्य परीक्षा के पूर्व **Online** आवेदन की प्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(F) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–

(a) **Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।** प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के द्वारा कंडिका–14(q) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) **मुख्य परीक्षा के पूर्व Online आवेदन की प्रति के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सूचना प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम प्रकाषन के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जायेगी।** Hard Copy **जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(b) मुख्य परीक्षा हेतु वांछित प्रमाण–पत्र **Online** आवेदन की प्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वीकार्य होंगे लेकिन निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण–पत्र (अनापत्ति प्रमाण–पत्र छोड़कर) स्वीकार्य नहीं होगा।

(c) साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित प्रमाण पत्र/अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा **अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।** अभिलेख सत्यापन के दौरान अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।**

(d) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(e) अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। **एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

(f) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.– 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(g) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता हैः–

(h) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–0651/2213009 पर संपर्क किया जा सकता है।

(i) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(j) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(k) आवेदक अपना नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

(l) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(m) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करेंगे।

(n) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(o) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(p) **अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुरूप मुख्य परीक्षा के पूर्व Online आवेदन की प्रति के साथ समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(q) *अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति **Hard Copy** आयोग कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे:–*

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र
(ii) इंटरमीडिएट अंक पत्र / प्रमाण पत्र
(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यशास्त्र एवं लेखा विधि / अर्थशास्त्र / गणित या सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
(iv) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)
(v) EWS का विहित प्रपत्र में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।
(vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता के दावा हेतु)
(vii) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)
(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

15. अंतिम तिथि :–

(a) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक–21.10.2019 से 15.11.2019 रात 11:45 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।

(b) दिनांक–15.11.2019 के बाद दिनांक–18.11.2019 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(c) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0 / –
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।